विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-06/15

मेसर्स लक्ष्मीनिवास एक्सपोर्ट प्रा.लि. — आवेदक
ग्राम पालदा, उद्योग नगर,
तह. व. जिला– इंदौर (म.प्र.)

विरूद्ध

मुख्य सतर्कता अधिकारी, — अनावेदक
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
जीपीएच कम्पाउण्ड, पोलो ग्राउण्ड, इंदौर।

आदेश
(दिनांक 19.08.2015 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के शिकायत प्रकरण क्रमांक W0291115 मेसर्स लक्ष्मीनिवास एक्सपोर्ट प्रा.लि. इंदौर विरूद्ध मुख्य सतर्कता अधिकारी, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. इंदौर में पारित आदेश दिनांक 19.02.2015 के विरूद्ध उपभोक्ता की ओर से अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 लोकपाल कार्यालय में दर्ज प्रकरण क्रमांक एल00–06/15 में तर्क हेतु उभय पक्षों को दिनांक 17.8.2015 को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 तर्क के दौरान आवेदक द्वारा मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर निर्णय लेने हेतु अनुरोध किया है–

(i) विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के आदेश को अपास्त किया जाए।

(ii) सतर्कता विभाग द्वारा जांच के दौरान पायी गई अनियमितता के विरूद्ध दिये गये अंतरिम आदेश दिनांक 26.2.2014 को निरस्त किया जाए तथा आवेदक द्वारा जमा की गई राशि रूपये 2,91,290/– अगले मासिक देयक में समायोजित की जाए।

(iii) आवेदक द्वारा अपनी अपील में बताया गया कि क्षेत्रीय कार्यपालन यंत्री द्वारा भी अप्रैल 2013 से नवंबर, 2013 के बीच की अवधि में सतर्कता विभाग द्वारा चैकिंग के आधार पर एक

अन्य पूरक बिल रूपये 91,290/– का दिया गया, जबकि इसी विधि में पैनल बिलिंग की जा चुकी है। अतः इस अवधि में दो बार बिलिंग की गई जो उचित नहीं है।

03 अनावेदक द्वारा तर्क के दौरान बताया गया कि चूंकि सतर्कता विभाग द्वारा आवेदक के परिसर में स्वीकृत भार से अधिक भार पाया गया था अतः उनका प्रकरण विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 के अंतर्गत बनाया गया है। अतः इसका निराकरण विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 127 के अंतर्गत गठित समिति के द्वारा किया जाना है। इस प्रकरण की सुनवाई विद्युत लोकपाल द्वारा नहीं की जा सकती ।

04 उपरोक्त तथ्यों, तर्कों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों की विवेचना से यह स्पष्ट है कि आवेदक के परिसर की सतर्कता विभाग द्वारा चैकिंग के उपरांत प्रकरण विद्युत अधिनियम 2003 क धारा 126 के अंतर्गत दर्ज किया गया तथा उन्हें रूपये 3,05,391/– का बिल दिया गया। इस संबंध में माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 की कंडिका 4.11 जिसमें कि विद्युत लोकपाल द्वारा कौन–कौन से कृत्यों का निर्वहन किया जाएगा, का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत विद्युत लोकपाल, अधिनियम के भाग 10, 11, 12, 14 एवं 15 सहित आयोग या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष मौजूद या प्रस्तावित कार्यवाहियों से संबंधित किसी विषय वस्तु के अभ्यावेदन ग्रहण नहीं करेगा। अतः आवेदक के विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के तहत दर्ज प्रकरण का निराकरा विद्युत लोकपाल द्वारा नहीं किया जा सकता।

05 कार्यपालन यंत्री द्वारा अप्रैल 2013 से नवंबर, 2013 की अवधि में सतर्कता विभाग की चैकिंग के आधार पर पुनः एक पूरक बिल रूपये 91,290/– दिया गया जो कि उचित नहीं एवं निरस्त करने योग्य है।

अतः उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर निर्णय लिया जाता है कि–

अनावेदक द्वारा प्रकरण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अंतर्गत बनाया गया है जिसे विधिक प्रावधान के अनुसार विद्युत लोकपाल को सुनने की पात्रता नहीं है। धारा 126 के अधीन दिये गये अंतिम निर्धारण आदेश के विरूद्ध अधिनियम की धारा 127 में अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील करने का प्रावधान है। तदनुसार आवेदक सहायता के लिए अपील प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

कार्यपालन यंत्री द्वारा जारी पूरक बिल रूपये 91,290/– जिसका कि अंतिम निर्धारण सतर्कता विभाग द्वारा किया जा चुका है तथा जिसकी अपील की जानी। अतः इस बिल को निरस्त किया जाए तथा आवेदक द्वारा जमा उपरोक्त बिल की राशि आवेदक के अगले मासिक विद्युत देयक में समायोजित की जाए।

आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल